भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. संख्या 07/08/2025-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5,संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

<u>जांच की शुरूआत की अधिसूचना</u>

<u>मामला संख्याः -04/2025</u>

दिनांकः 16 जून 2025

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फ्लुओरोएलास्टोमर" के आयात पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत।

1. समय-समय पर संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया) और समय-समय पर संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, मूल्यांकन और उन पर पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" या "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) के संबंध में, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) से "फ्लोरोएलेस्टोमर" (जिसे आगे "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" या "एफकेएम" कहा गया है) के आयात के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि उसे पहले वापस न ले लिया जाए, ऐसे लगाए जाने की तिथि से पांच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा और प्राधिकारी को यह समीक्षा करनी होगी कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार-बार होने की संभावना है। इसके अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करनी होगी कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है।

क. पिछली जांच की पृष्ठभूमि

3. चीन से विचाराधीन उत्पाद के आयात की मूल पाटनरोधी जांच 2 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी और अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 6/25/2017-डीजीएडी दिनांक 27 दिसंबर 2018 के तहत 18 महीने की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी। ये उपाय सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 6/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 28 जनवरी 2019 के तहत संबद्ध सामानों पर लगाए गए थे।

4. इसके बाद, अधिसूचना संख्या 7/03/2020-डीजीटीआर दिनांक 07 फरवरी 2020 के तहत एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की गई थी। जांच न हो जाने तक, सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 19/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 21 जुलाई 2020 के तहत पाटनरोधी शुल्क को तीन महीने की अवधि के लिए 27 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था। निर्णायक समीक्षा के अंतिम जांच परिणाम 19 अक्टूबर 2020 को जारी किए गए थे, और अधिसूचना संख्या 40/2020 दिनांक 27 नवंबर 2020 के तहत संबद्ध सामानों पर निश्चित पाटनरोधी शुल्क को पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। वर्तमान शुल्क 27 नवंबर 2025 तक लागू हैं।

ख. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

5. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जांच में परिभाषित है और जो इस प्रकार है:

"वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) है। फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) सिंथेटिक रबर की एक श्रेणी है जिसे बहुत उच्च तापमान प्रचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है। उत्कृष्ट समग्र गुणों के साथ, फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) को "रबर किंग" कहा जाता है। इसमें पूरी तरह से फ्लोरिनेटेड आणविक संरचना नहीं होती है, और इसकी मुख्य और साइड चेन में फ्लोरीन परमाणुओं की मजबूत विद्युत ऋणात्मकता होती है। "फ्लोरोइलास्टोमर्स" फ्लोरोपॉलिमर रबर का एक परिवार है, न कि एक इकाई। इसे क्रमशः 66%, 68% और 70% फ्लोरीन सामग्री द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है। एफकेएम को मोटे तौर पर दो सेटों में वर्गीकृत किया जाता है - कॉपोलीमर और टरपोलीमर।"

6. संबद्ध सामानों को उपशीर्षक 3904 के अंतर्गत सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 39 के तहत वर्गीकृत किया गया है। संबद्ध सामानों का आयात निम्नलिखित एचएस कोड के अंतर्गत किया जा रहा है: - 39045090, 39046990, 39049000 और 39046910।

सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

7. आवेदक ने पूर्व जांच में प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित पीसीएन पद्धति का हवाला दिया था। आवेदक ने प्रस्ताव दिया था कि वर्तमान जांच में भी उसी पद्धति पर विचार किया जाए।

क्र.सं.	उत्पाद का नाम	पीसीएन	पीसीएन का विवरण
1	को पॉलिमर-कच्चा गम	एफसीपी#आरजी0001	फ्लोरोएलास्टोमर्स (एफकेएम) को-पॉलिमर रॉ गन
2	टरपोलिमर बिस्फेनॉल क्यूरेबल कच्चा गम	एफटीपीबीआरजी0002	फ्लोरोएलास्टोमर्स (एफकेएम) टेरपॉलिमर बिस्फेनॉल क्यूरेबल रॉ गम
3	टरपोलिमर पेरोक्साइड क्यूरेबल कच्चा गम	एफटीपीपीआरजी0003	फ्लोरोएलास्टोमर्स (एफकेएम) टरपॉलिमर पेरोक्साइड क्यूरेबल रॉ गम
4	कोपोलिमर प्री-कंपाउंड	एफसीपी#पीसी0004	फ्लोरोएलास्टोमर्स (एफकेएम) कॉपोलिमर प्री-कंपाउंड
5	टरपोलिमर बिस्फेनॉल क्यूरेबल प्री-कंपाउंड	एफसीपी#पीसी0005	फ्लोरोएलास्टोमर्स ((एफकेएम) टरपॉलिमर बिस्फेनॉल क्यूरेबल प्री-कंपाउंड

8. संबद्ध जांच में हितबद्ध पक्षकार, विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन कार्य-पद्धति पर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हो, इस जांच के प्रारंभ होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर दे सकते हैं।

ग. <u>समान वस्तु</u>

9. आवेदक ने अनुरोध किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पादों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, तथा दोनों ही समान वस्तुएँ हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद, आवश्यक उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्य और

प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का परस्पर उपयोग कर सकते हैं और करते रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं, और इसलिए, नियमावली के तहत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। समान वस्तु के मुद्दे की जांच प्राधिकारी द्वारा मूल जांच में भी की जा चुकी है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देश से उत्पादित और आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग और आधार

10. यह आवेदन-पत्र गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड (जीएफएल) द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में संबद्ध उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है।

11. प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, यह देखा गया है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से 'घरेलू उद्योग' है, और आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

ड. संबद्ध देश

12. वर्तमान पाटनरोधी जांच का संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

च. जांच की अवधि

13. आवेदक ने जांच की अवधि के रूप में 01 जनवरी 2024 - 31 दिसंबर 2024 का प्रस्ताव रखा था। प्राधिकारी ने जांच के उद्देश्य से आवेदक द्वारा प्रस्तावित अवधि पर विचार किया है। क्षति जांच अवधि में 2021-22, 2022-23, 2023-24 की अवधि और जांच की अवधि शामिल होगी।

छ. तथाकथित पाटन का आधार

i. सामान्य मूल्य

14. आवेदक ने चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क) (i) का हवाला दिया है और उस पर भरोसा किया है तथा दावा किया है कि चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए तथा चीन जन.गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। जब तक चीन जन.गण. के उत्पादक यह नहीं दिखाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ

विद्यमान हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

15. आवेदक ने अनुरोध किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत और कीमत से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं है। जिस कीमत पर विचाराधीन उत्पाद को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश में बेचा गया है, उसके संबंध में आवेदक ने संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है, जिसे निवल कारखानागत स्तर पर निकालने के लिए समायोजित किया गया है। पिछली जांच में इस पद्धति का विरोध किया गया था।

16. आवेदक ने घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर भारत में देय मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य भी प्रस्तुत किया है। जांच शुरू करने के उद्देश्य से, सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में भुगतान की गई या देय कीमत के आधार पर किया गया है, जिसे उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए समायोजित किया गया है।

17. हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें और सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली कार्य-पद्धति के संबंध में विधिवत प्रमाणित दावे करें।

ii. निर्यात कीमत

18. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत डीजी सिस्टम डेटा में रिपोर्ट किए गए विचाराधीन उत्पाद के सीआईएफ कीमत पर विचार करके निर्धारित किया गया है। समुद्री माल ढुलाई, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय, सार-संभाल व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा, ऋण लागत, मालसूची ले जाने की लागत और सहायक पैकेजिंग के लिए समायोजन का दावा किया गया है।

iii. पाटन मार्जिन

19. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है। *प्रथम दृष्ट्या* यह देखा गया है कि उत्पादक निर्यातकों में से एक के लिए पाटन मार्जिन नकारात्मक है, जबकि अन्य सभी उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक है। यह *प्रथम दृष्ट्या* सिद्ध होता है कि विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।

ज. क्षति और पाटन तथा क्षति के बार-बार होने की संभावना

20. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयात की मात्रा में पूर्ण दृष्टि से और सापेक्ष दृष्टि से वृद्धि हुई है। आवेदक ने क्षति की संभावना को सिद्ध करने के आधार के रूप में

संबद्ध देश में क्षमता विस्तार, संबद्ध देश में मांग में गिरावट, निर्यातोन्मुखता, तीसरे देश द्वारा लगाए गए उपायों और भारत की कीमत आकर्षता संबंधी सूचना भी दी है। आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना, *प्रथम दृष्टया* संबद्ध देश से पाटन की संभावना की निरंतरता और पाटनरोधी शुल्क बंद होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना को दर्शाती है।

झ. <u>निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत</u>

21. आवेदक के विधिवत् प्रमाणित आवेदन-पत्र के आधार पर, तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करते हुए, जो पाटन और क्षति के जारी रहने/बार-बार होने की संभावना को सिद्ध करता है, तथा नियमावली के 23(1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल के अथवा या वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा यह जांच करने के लिए कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग के लिए पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है, एतद्द्वारा एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हैं।

ञ. <u>प्रक्रिया</u>

22. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ट. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

23. सभी पत्र निर्दिष्ट प्राधिकारी को dir16-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in पर ईमेल के द्वारा भेजे जाने चाहिए जिसकी एक प्रति adv13-dgtr@gov.in को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का व्याख्यात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में है और डाटा फाइलें एमएस-ऐक्सल फार्मेट में हैं। फाइलों तक पहुंच बनाने के लिए विशेष साफ्टवेयर की आवश्यकता वाले अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

24. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादतकों/निर्यातकों, संबद्ध देश की सरकार को भारत में उनके दूतावास के माध्यम से और भारत में आयातकों तथा प्रयोक्ताओं, जो संबद्ध सामानों से जुड़े हुए जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमाओं के भीतर सभी संगत सूचनाएं दायर कर सकें।

25. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित स्वरूप और तरीके में जांच से संगत अपने अनुरोध भी कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे अन्य पक्षकारों को अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।

ठ. <u>समय सीमा</u>

26 वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को dir16-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in पर ईमेल के द्वारा भेजे जाने चाहिए जिसकी एक प्रति adv13-dgtr@gov.in पर इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर भेजी जानी चाहिए जो जिस तारीख को निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी गई थी अथवा पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को भेजी गई थी। तथापि, यह नोट किया जाए कि उपर्युक्त नियमावली के स्पष्टीकरण के संदर्भ में सूचना मंगाने और अन्य दस्तावेज मंगाने का नोटिस उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त किया गया माना जाएगा, जिस तारीख को वह निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी गई थी अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को भेजी गई थी। यदि कोई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित(हित की प्रकृति सहित) सूचित करें और इस अधिसूचना की उपर्युक्त समय सीमा के भीतर अपने उत्तर अथवा अनुरोध दायर करें।

28. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय चाहता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

ड. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

29. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है अथवा प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है वहां उस पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसका अगोपनीय रूपांतर साथ-साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध रद्द हो सकते हैं।

30. प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (परिशिष्ट/उससे संलग्न अनुबंध सहित) करने वाले पक्षकारों को प्रश्नावली के उत्तर सहित गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर अलग-अलग दायर करने अपेक्षित हैं। यदि अनुरोध कई भागों में किया गया है तो संलग्न सभी भागों/ईमेल और दस्तावेज़ों की विषय-वस्तु का उल्लेख करते हुए प्रत्येक भाग में सूची तालिका उपलब्ध कराने का अनुदेश दिया जाता है। कृपया सभी अनुरोधों पर पृष्ठ संख्या डालना सुनिश्चित करें।

31. जहां मूल दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, वहां हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि मूल दस्तावेजों के साथ सही अनूदित रूपांतर उपलब्ध कराया जाए।

32. यह अनुरोध प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" चिन्हित होने चाहिएं। प्राधिकारी को ऐसे चिन्हों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

33. गोपनीय सूचना वाले गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति अगोपनीय रूपांतर होना अपेक्षित है, मुख्य रूप से सूचीबद्ध अथवा ब्लैंक्ड आउट (यदि सूचीकरण संभव नहीं है) और उस सूचना के आधार पर संक्षेप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है। गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझने के लिए गोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए सारांशीकरण संभव नहीं होने के कारणों का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के गोपनीय रूपांतर प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर अन्य पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं।

34. प्राधिकारी, प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच किए जाने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट नहीं है कि गोपनीयता के लिए किया गया अनुरोध उचित है अथवा यदि सूचना देने वाला सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

35. बिना किसी सार्थक अगोपनीय रूपांतर के अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में अच्छा कारण विवरण दिए बिना कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। किए गए किसी भी प्रस्तुतिकरण को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

36. प्राधिकारी द्वारा, प्रदान की गई सूचना के गोपनीय होने की आवश्यकता से संतुष्ट होने तथा उसे स्वीकार किए जाने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं किया जाएगा।

ढ. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

37. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। प्रश्नावली के उत्तर या अन्य अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अधिमानतः उसी दिन सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया जाना चाहिए और किसी भी दशा में गोपनीय आधार पर अनुरोध दायर करने के अगले दिन से बाद में नहीं। अनुरोध/उत्तर/सूचना का गोपनीय रूपांतर परिचालित न करने की स्थिति में किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

ण. <u>असहयोग</u>

38. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इंकार करता है अथवा अन्यथा प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं तथा अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी यथा-उपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

सिद्दार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी